नगर निगम, रूद्रपुर जनपद–ऊधमसिंह नगर की बोर्ड बैठक दिनांक 13.12.2021 का कार्यवृत्त

बोर्ड बैठक/2021–22

दिनांक: 13 दिसम्बर, 2021

आज दिनांक 13 दिसम्बर, 2021 को प्रातः 11:00 बजे नगर निगम, रूद्रपुर के सभागार में निगम बोर्ड की बैठक आहूत की गयी, जिसमें महापौर एवं निम्न पार्षदगण/सदस्यगण उपस्थित हुये–

क्र. सं.	नाम महापौर/पदेन सदस्य/वार्ड पार्षद	पदनाम	वार्ड नम्बर/पता
1.	श्री रामपाल सिंह	महापौर	नगर निगम, रूद्रपुर
2.	श्री राजेश शुक्ला (प्रतिनिधि श्री मनमोहन सिंह)	पदेन सदस्य	विधायक, विधानसभा–67, किच्छा
3.	श्री निमित कुमार शर्मा	पार्षद	वार्ड नं0 6, जगतपुरा
4.	श्रीमती सीमा गुप्ता	पार्षद	वार्ड नं0 12, औद्योगिक क्षेत्र
5.	श्री जितेन्द्र यादव	पार्षद	वार्ड नं0 14, भदईपुरा
6.	श्री प्रमोद कुमार शर्मा	पार्षद	वार्ड नं0 16, बिगवाड़ा
7.	श्रीमती शालू पाल	पार्षद	वार्ड नं0 17, खेड़ा दक्षिणी
8.	श्रीमती शायरा बानों	पार्षद	वार्ड नं0. 18, खेड़ा मध्य
9.	श्री सुनील कुमार	पार्षद	वार्ड नं0 19, खेड़ा उत्तरी
10.	श्रीमती कमला देवी	पार्षद	वार्ड नं0 24, रम्पुरा पश्चिमी
11.	श्रीमती रजनी रावत	पार्षद	वार्ड नं0 26, सीरगोटिया
12.	श्री आयुष तनेजा	पार्षद	वार्ड नं0 30, डी1डी2
13.	श्री सुशील चौहान	पार्षद	वार्ड नं0 33, सिंह कालोनी
14.	श्री अम्बर सिंह	पार्षद	वार्ड नं0 34, इन्द्रा कालोनी
15.	श्रीमती श्यामली विश्वास	पार्षद	वार्ड नं0 35, आदर्श इन्द्रा कालोनी
16.	श्री बबलू सागर	पार्षद	वार्ड नं0.37, रविन्द्र नगर
17.	श्रीमती रीना जग्गा	पार्षद	वार्ड नं0 38, आवास विकास पश्चिमी
18.	श्री बलाई विश्वास	नामित पार्षद	वार्ड नं0 5

उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम 1959 (उत्तराखण्ड में विभिन्न संशोधनों सहित यथाप्रवृत्त) की धारा 90(3) के प्राविधानों के अन्तर्गत एजेण्डे के अनुसार बोर्ड बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई–

प्रस्ताव संख्या	प्रस्ताव	प्रस्ताव स्वीकृति विवरण
1.	पिछली कार्यवाही की पुष्टि/अनुमोदन पर विचार।	सहायक नगर आयुक्त द्वारा सदन के समक्ष पिछली बोर्ड बैठक की कार्यवाही को पढ़कर सुनाया गया तथा पारित प्रस्ताव के सापेक्ष कृत कार्यवाही से भी अवगत कराया गया, जिस पर सदन द्वारा पिछली बोर्ड बैठक की कार्यवाही की पुष्टि एवं अनुमोदन सर्वसम्मति से की गयी।
2.	मुर्गा–मछली मीट विक्रय शुल्क 1998 की नियमावली को संसोधित करने पर विचार।	प्रस्ताव पर विचार–विमर्श किया गया। जिसमें 04 जुलाई 1998 की नियमावली के अनुसार वधशाला का शुल्क निर्धारित किया गया है जो निम्न प्रकार है– 1. भैस– रू0 10.00 प्रति नग

Rampal

		2. सुअर– रू0 10.00 प्रति नग 3. बकरा, बकरी, भेड़– रू0 05.00 प्रति नग 4. अन्य पशु जिसमें पक्षी भी सम्मिलित है– रू0 02.00 प्रति नग उक्त दरों में संशोधन कर निम्नानुसार दरे प्रस्तावित की गई– 1. भैस– रू0 250.00 प्रति नग 2. सुअर– रू0 200.00 प्रति नग 3. बकरा, बकरी, भेड़– रू0 100.00 प्रति नग 4. अन्य पशु जिसमें पक्षी भी सम्मिलित है– रू0 25.00 प्रति नग प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित हुआ।
3.	सामुदायिक भवन का GIS सर्वे कराकर किरायें पर देने तथा Vertially आवश्यक्तानुसार बढाकर किरायें पर देने तथा Online Booking की स्वीकृति पर विचार।	प्रस्ताव पर विचार–विमर्श किया गया। जिसके उपरान्त इस बात पर चर्चा की गई कि छोटे सामुदायिक भवनों को पूर्व की भांति निःशुल्क उपलब्ध कराये जाने की प्रक्रिया जारी रखी जाये। तथा बड़े सामुदायिक भवनों को ही किराये पर दिया जाये। इसके अतिरिक्त यह भी निर्णय लिया गया कि किसी भी सामुदायिक भवन की बुकिंग हेतु ऑन–लाईन प्रक्रिया न अपनाई जाये। प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित हुआ।
4.	दुकान संख्या N-3, CA पर पुनः विचार तथा नगर निगम क्षेत्रांन्तर्गत जर्जर भवनो का निर्माण PPP मोड में दिये जानें की स्वीकृति पर विचार।	प्रस्ताव पर विचार–विमर्श किया गया। जिसके उपरान्त यह भी निर्णय लिया गया कि गांधी पार्क के निकट नगर निगम की लाईब्रेरी को किराये पर दिये जाने हेतु पूर्व में निर्धारित एकमुश्त धनराशि को 10 लाख से घटाकर 08 लाख कर दिया जाये, जोकि 15 साल की अवधि समाप्त होने के पश्चात् लोटा दी जायेगी। इसके अतिरिक्त लाईब्रेरी का न्यूनतम मासिक किराया 15,000.00 रू0 निर्धारित किया गया। जिसे 15 वर्ष की अवधि समाप्त हो जाने के पश्चात् 10 प्रतिशत प्रति 05 वर्ष की दर से बढाया जायेगा। प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित हुआ।
5.	वधशाला बनाने पर विचार।	प्रस्ताव पर विचार–विमर्श किया गया। प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित हुआ।
6.	सिडकुल के साथ समन्वय स्थापित करते हुए यदि किराये पर अथवा बिना किराये पर भूमि/बिल्डिग मिल जाती है तो सूखे कूडे का ट्रंचिग ग्राउन्ड बनाने पर विचार।	प्रस्ताव पर विचार–विमर्श किया गया। प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित हुआ।
7.	नगर निगम को जनसंख्या/क्षेत्रफल के आधार पर 04 जोन में बॉटने पर विचार।	प्रस्ताव पर विचार–विमर्श किया गया। यह भी निर्धारित किया गया कि प्रत्येक जोन में भूमि का चिन्हीकरण कर नगर निगम, रूद्रपुर की शाखा खोली जायेगी। प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित हुआ।
8.	वार्डो में प्रतिस्पर्धा बढायें जाने के लिये निगम तथा किसी सहायक संस्था/कम्पनी की कालौनी में/ग्रेटर कालौनी में रैंकिंग को जारी किये जाने की स्वीकृति पर विचार।	प्रस्ताव पर विचार–विमर्श किया गया। चर्चा के दौरान यह भी निर्णय लिया गया कि 40 वार्डो में रैंकिंग किये जाने के उपरान्त प्रथम, द्वितीय व तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले वार्डो में क्रमशः 03 लाख, 02 लाख व 01

		लाख रूपये तक के निर्माण कार्य कराये जाने हेतु प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित हुआ।
9.	कॅम्पोंस्टिग– मशीन द्वारा तैयार की गयी खाद को विभिन्न सरकारी कम्पनियों/ संस्थानों मे बेचने की स्वीकृति पर विचार।	प्रस्ताव पर विचार–विमर्श किया गया। प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित हुआ।
10.	नगर निगम सीमान्तर्गत विद्युत विभाग द्वारा विद्युत पोल, विद्युत सब स्टेशन व ट्रॉसफामर्स पर वार्षिक टर्न ओवर पर शैस (Cess) लगाये जाने पर विचार।	प्रस्ताव पर विचार–विमर्श किया गया। चर्चा में यह निर्धारित किया गया कि उक्त प्रस्तावों के सम्बन्ध में एक समिति का गठन किया जायेगा। जिसकी आख्या के क्रम में शासन को स्वीकृति हेतु प्रस्ताव प्रेषित किया जायेगा। प्रस्ताव सं0–10, 11 व 12 सर्वसम्मति से पारित हुये।
11.	गैस पाईप लाईन से गैस कनेक्शन प्रतिमाह (आवाशीय एवं गैर आवासीय) कम्पनी से शुल्क लिये जाने पर विचार।	
12.	नगर निगम में सम्पत्तियों के हस्तान्तरण पर सम्पत्ति मूल्य के 01 व 02 प्रतिशत तक शुल्क उपकर शैस के रूप में आरोपित किये जाने पर विचार।	
13.	नगर निगम के बकायेदारों में उनपर की जाने वाली कार्यवाही Account Freeze करने पर विचार।	प्रस्ताव पर विचार–विमर्श किया गया। जिसके उपरान्त यह निर्णय लिया गया कि 03 बार नोटिस प्रेषित किये जाने के पश्चात् सम्बन्धित ठेकेदार से संतोषजनक प्रतिउत्तर प्राप्त न होने की दशा में उसका बैंक Account Freeze करने हेतु अग्रिम कार्यवाही आरम्भ कर दी जायेगी। प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित हुआ।
14.	ठेकेदार के पास No Dues होना चाहिये, निगम में कार्य करने वाले ठेकेदारों का Dues न होने पर ही ठेका देने पर विचार।	प्रस्ताव पर विचार–विमर्श किया गया। जिसके उपरान्त यह निर्णय लिया गया कि ठेकेदार का नगर निगम, रूद्रपुर के प्रति कोई देनदारी लंबित होने की दशा में सम्बन्धित ठेकेदार को कोई नवीन कार्य/ठेका नहीं दिया जायेगा। प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित हुआ।
15.	सेप्टेज टैंक एवं मॉनीटर सेंटर बनाये जाने की प्रशासनिक व वित्तीय स्वीकृति पर विचार।	प्रस्ताव पर विचार–विमर्श किया गया। प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित हुआ।
16.	नगर निगम, रूद्रपुर में वार्डों का चयन कर उनको प्लास्टिक फ्री जोन बनाने हेतु कार्यवाही पर विचार।	प्रस्ताव पर विचार–विमर्श किया गया। प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित हुआ।
17.	सामुदायिक भवन/लैण्ड/बिल्डिग, लैण्ड बैंक बनानें एवं बिल्डिग बैंक की जी0आई0एस0 मैपिंग किये जाने की स्वीकृति पर विचार।	प्रस्ताव पर विचार–विमर्श किया गया। प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित हुआ।
18.	सूखा कूडा व गीला कूडा अलग अलग (Segregation) ना करने वालो पर अतिरिक्त शुल्क लेने पर विचार।	प्रस्ताव पर विचार–विमर्श किया गया। चर्चा के उपरान्त निर्णय लिया गया कि– 1. कार्य में दक्षता हेतु पर्यावरण मित्रों की समय–समय पर कार्यशाला आयोजित की जाये। 2. आम जन को गीले एवं सूखे कूड़े का पृथक–पृथक संग्रहण किये जाने हेतु जागरूक करने हेतु प्रत्येक वार्ड

Tanupal

		में पृथक–पृथक कार्यशालाओं का आयोजन किया जाये। 3. गीला एवं सूखा कूड़ा पृथक–पृथक संग्रहण हेतु नगर निगम, रूद्रपुर क्षेत्रान्तर्गत छूटे हुये समस्त घरों में डस्टबिन वितरण किये जाये। प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित हुआ।
19.	मानव एवं मृतक पशुओं के लिये पृथक–पृथक विद्युत शवदाह गृह के निर्माण की प्रशासनिक व वित्तीय स्वीकृति पर विचार।	प्रस्ताव पर विचार–विमर्श किया गया। प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित हुआ।
20.	नगर निगम रूद्रपुर के कार्मिको को अन्य निगम कार्यालयों मे ट्रेनिंग कराने पर विचार।	प्रस्ताव पर विचार–विमर्श किया गया। प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित हुआ।
21.	कबांडी वालो की नोटिस एवं एन0जी0टी0 के अन्तर्गत कार्यवाही पर विचार।	प्रस्ताव पर विचार–विमर्श किया गया। चर्चा के उपरान्त निर्णय लिया गया कि सभी कबाडी/संस्था/फर्म जो Waste Management के क्षेत्र में कार्य कर रहें है उनपर निम्न नियमों का पालन कराया जाना सुनिश्चित किया गया। 01. नगर निगम में अनिवार्य रूप से पंजीकरण करवाने की जिम्मेदारी सम्बन्धित कबाडी/संस्था/फर्म की होगी। 02. सम्बन्धित कबाडी/संस्था/फर्म से प्रति माह 5000.00 रू0 (पांच हजार रूपये) शुल्क लिया जायेगा। 03. सम्बन्धित द्वारा प्रतिमाह सूचना उपलब्ध करायी जायेगी। 04. सम्बन्धित द्वारा NGT निर्गत आदेशों का एंव SWM Rules का पालन किया जा रहा है इसका प्रमाण पत्र प्रत्यके माह उपलब्ध करना सुनिश्चित करेगें। 05. सभी कार्मिक जो उनके यहां कार्यरत हैं उनका किसी भी प्रकार से मानवाधिकारों का हनन न हो तथा उनकी सुरक्षा का पुरा ध्यान रखा जाये। उक्त प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित हुआ।
22.	NH-74 मोहल्ला पहाडगंज स्थित ट्रंचिंग ग्राउण्ड में पुराने नगरीय ठोस अपशिष्ठ के पृथक्कीकरण हेतु लगाई गयी ट्रोमल मशीन सें निकलने वाली इनर्ट (मिट्टी) को रू0 100 प्रति मिट्रिक टन (क्रेता द्वारा स्वयं के संसाधनो से परिवहन कर ले जाने पर) की दर से इच्छुक आमजन को विक्रय किये जाने पर विचार।	प्रस्ताव पर विचार–विमर्श किया गया। प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित हुआ।
23.	नगर निगम की वार्षिक पत्रिका छपवाने पर विचार।	प्रस्ताव पर विचार–विमर्श किया गया। प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित हुआ।
24.	नगर निगम की नई वेवसाईट बनाने पर विचार।	प्रस्ताव पर विचार–विमर्श किया गया। प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित हुआ।
25.	शैलेजा फार्म/आर्दश कालौनी/पी0पी0मोड में सूखा कुडा डालने तथा उक्त भूमि पर अरबन फोरेस्ट बनाने पर विचार।	प्रस्ताव पर विचार–विमर्श किया गया। जिसके उपरांत यह निर्णय लिया गया कि उक्त भूमि पर अरबन फोरेस्ट बनाया जायेगा।

		प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित हुआ।
26.	भारत हैवी इलेक्ट्रिक लि0 (BHEL) के पास नगर निगम क्षेत्रान्तर्गत के सूखा–गीला कूडा निस्तारण केन्द्र बनाने पर विचार।	प्रस्ताव पर विचार–विमर्श किया गया। जिसके उपरान्त भारत हैवी इलेक्ट्रिक लि0 (BHEL) के पास नगर निगम क्षेत्रान्तर्गत के सूखा–गीला कूडा निस्तारण केन्द्र बनाये जाने हेतु प्रस्ताव खारिज किया गया।
27.	पुराने एस0डी0एम0 कोर्ट के पास स्थित जर्जर भवन को नगर आयुक्त आवास हेतु जिला अधिकारी महोदय से लेने/मरम्मत किये जाने हेतु प्रस्ताव पारित करने पर विचार।	प्रस्ताव पर विचार–विमर्श किया गया। प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित हुआ।
28.	नगर निगम में कार्यरत कर्मचारियों को अच्छा कार्य करने हेतु प्रेरित करने के लिये प्रतिमाह का श्रेष्ठ कर्मचारी (Employee of the month) घोषित किये जाने पर विचार।	प्रस्ताव पर विचार–विमर्श किया गया। जिसके उपरान्त यह भी निर्णय लिया गया कि अच्छा कार्य करने वाले कर्मचारियों के चयन हेतु नगर निगम के पार्षदों से भी राय ली जाये। प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित हुआ।
29.	नगर निगम तथा अन्य सरकारी कार्यालयों के ई–वेस्ट के विक्रय हेतु किसी फर्म/संस्था/सेवाप्रदाता को चिन्हित करने पर विचार तथा ई–वेस्ट सम्बन्धित नियमावली बनाये जाने पर विचार।	प्रस्ताव पर विचार–विमर्श किया गया। प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित हुआ।
30.	निष्प्रोज्य डस्टबिन (4.5 क्यूमीटर) की नीलामी हेतु प्रस्ताव पर विचार।	प्रस्ताव पर विचार–विमर्श किया गया। प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित हुआ।
31.	निष्प्रोज्य ई–रिक्शा कूडा गाडियों को विक्रय किये जाने के प्रस्ताव पर विचार।	प्रस्ताव पर विचार–विमर्श किया गया। प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित हुआ।
32.	नगर निगम, रूद्रपुर में पुराने पडें निष्प्रोज्य वाहन (जिनका पूर्व में पंजीकरण नही किया जा सका है तथा जिनके पंजीकरण का 15 वर्ष से अधिक हो चुके है) की निलामी किये जाने के प्रस्ताव पर विचार।	प्रस्ताव पर विचार–विमर्श किया गया। प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित हुआ।
33.	वित्तीय वर्ष 2022–23 रू0 50 लाख की कीटनाशक क्रय करने हेतु वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति पर विचार।	प्रस्ताव पर विचार–विमर्श किया गया। प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित हुआ।
34.	नामान्तरण/दाखिल–खारिज शुल्क की दरों पर संशोधन करने पर विचार।	प्रस्ताव पर विचार–विमर्श किया गया। प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित हुआ।

क्र0 सं0	विवरण	प्रचलित	संशोधित दर
1.	विरासत/उत्तराधिकारी, वसीयत तथा विधिसम्मत तरीके से किये गये हिब्बा पर आधरित भवनों का नामान्तरण	2500.00	पूर्वोक्त
2.	भवनों के पंजीकृत विलेख/बैनामों, पंजीकृत दान–पत्र पर निम्नलिखित स्लैब के सर्किल रेट आधारित सरकारी मूल्य के अनुसार नामान्तरण के आवेदन–पत्र के साथ नामान्तरण शुल्क जमा कराया जायेगा:–		
(क)	रू0 5,00,000/– मूल्य तक के विक्रय विलेख पर नामान्तरण शुल्क	2000.00	पूर्वोक्त
(ख)	5,00,001/– से रू0 10,00,000/– मूल्य तक के विक्रय विलेख पर नामान्तरण शुल्क	4000.00	पूर्वोक्त
(ग)	रू0 10,00,001/– से रू0 15.00.000/– तक के विक्रय विलेख पर नामान्तरण शुल्क	6000.00	पूर्वोक्त

		(घ)	रू0 15.00.001 / – से रू0 20,00,000 / – तक के विक्रय विलेख पर नामान्तरण शुल्क	8000.00	पूर्वोक्त
		(ड़)	रू0 20,00,001 / – से रू0 25,00,000 / – तक के विक्रय विलेख पर नामान्तरण शुल्क	10000.00	पूर्वोक्त
		(च)	रू0 25,00,001 / – से रू0 30,00,000 / – तक के विक्रय विलेख पर नामान्तरण शुल्क	12000.00	पूर्वोक्त
		(छ)	रू0 30,00,001 / – से रू0 35,00,000 / – तक के विक्रय विलेख पर नामान्तरण शुल्क	14000.00	पूर्वोक्त
		(ज)	रू0 35,00,001 / – से रू0 40,00,000 / – तक के विक्रय विलेख पर नामान्तरण शुल्क	16000.00	पूर्वोक्त
		(झ)	रू0 40,00,001 / – से रू0 45,00,000 / – तक के विक्रय विलेख पर नामान्तरण शुल्क	18000.00	पूर्वोक्त
		(ञ)	रू0 45,00,001 / – से रू0 50,00,000 / – तक के विक्रय विलेख पर नामान्तरण शुल्क	20000.00	पूर्वोक्त
		(ट)	रू0 50,00,001 / – से रू0 75,00,000 / – तक के विक्रय विलेख पर नामान्तरण शुल्क		30,000.00
		(ठ)	रू0 75,00,001 / – से रू0 1,00,00,000 / – तक के विक्रय विलेख पर नामान्तरण शुल्क		35,000.00
		(ड)	रू0 1,00,00,001 / – से रू0 1,25,00,000 / – तक के विक्रय विलेख-पर नामान्तरण शुल्क		40,000.00
		(ढ)	रू0 1,25,00,001 / – से रू0 1,50,00,000 / – तक के विक्रय विलेख पर नामान्तरण शुल्क		45,000.00
		(ण)	रू0 1,50,00,001 / – से रू0 1,75,00,000 / – तक के विक्रय विलेख पर नामान्तरण शुल्क		50,000.00
		(त)	रू0 1,75,00,001 / – से रू0 2,00,00,000 / – तक के विक्रय विलेख पर नामान्तरण शुल्क		55,000.00
		(थ)	रू0 2,00,00,001 / – से रू0 2,25,00,000 / – तक के विक्रय विलेख पर नामान्तरण शुल्क	25,000.00	60,000.00
		(द)	रू0 2,25,00,001 / – से रू0 2,50,00,000 / – तक के विक्रय विलेख पर नामान्तरण शुल्क		65,000.00
		(छ)	रू0 2,50,00,001 / – से रू0 2,75,00,000 / – तक के विक्रय विलेख पर नामान्तरण शुल्क		70,000.00
		(ज)	रू0 2,75,00,001 / – से रू0 3,00,00,000 / – तक के विक्रय विलेख पर नामान्तरण शुल्क		75,000.00
		(झ)	रू0 3,00,00,001 / – से अधिक मूल्य से विक्रय विलेख पर नामान्तरण शुल्क		1,50,000.00
35.	वर्ष 2021–22 में पंजीकृत / नवीनीकृत ठेकेदारों की वैधता अवधि 31 मार्च 2022 तक करने के सम्बन्ध में प्रशासनिक स्वीकृति पर विचार।	प्रस्ताव पर विचार–विमर्श किया गया। प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित हुआ।			
36.	पूर्व में स्वीकृत निर्माण कार्यो को बोर्ड बैठकों के अनुसार वरीयता क्रम में कराये जाने के सम्बन्ध में विचार साथ ही आवश्यक्तानुसार तकनीकी विभाग की रिर्पोट के आधार पर वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति पर विचार।	प्रस्ताव पर विचार–विमर्श किया गया। प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित हुआ।			
37.	नगर निगम, रूद्रपुर क्षेत्रान्तर्गत आवश्यक्तानुसार विभिन्न पार्को में सबमर्सिबल स्थापना तथा विभिन्न वार्डो में इण्डिया मार्का ॥ हैण्डपम्पों की स्थापना, पूर्व से स्थापित रिबोर योग्य इण्डिया मार्का ॥ के रिबोर का कार्य एवं छोटी–छोटी खराबियो / मरम्मत का कार्य की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति पर विचार।	प्रस्ताव पर विचार–विमर्श किया गया। प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित हुआ।			
38.	सभाकक्ष में साउण्ड प्रुफिंग एवं रिपेयर मैन्टीनैंस कार्य तथा एक प्रोजेक्टर लगाने का कार्य की स्वीकृति पर विचार तथा उक्त सभाकक्ष में भविष्य में आवश्यकता पडने पर कार्मिकों के लिये क्यूबिकल बाक्स निर्माण	प्रस्ताव पर विचार–विमर्श किया गया। प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित हुआ।			

	कार्य की स्वीकृति पर विचार।	
39.	नगर निगम रूद्रपुर में दिनांक 30.01.2022 से दिनांक 31.03.2023 तक (वित्तीय वर्ष 2021–22 के अवशेष समय व वित्तीय वर्ष 2022–23) के लिये आउटसोर्स के माध्यम से मानवशक्ति की आपूर्ति हेतु आने वाले अनुमानित व्यय की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति पर विचार।	प्रस्ताव पर विचार–विमर्श किया गया। प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित हुआ।
40.	NH-74 मोहल्ला पहाडगंज स्थित ट्रंचिंग ग्राउण्ड में पुराने नगरीय ठोस अपशिष्ठ के पृथक्कीकरण हेतु अनुबन्धित फर्म मै0 राम सिंह अग्रवाल के अनुबन्ध की अवधि 02 माह बढाने हेतु प्रस्ताव पर विचार।	प्रस्ताव पर विचार–विमर्श किया गया। चर्चा में यह अवगत कराया गया कि NH-74 मोहल्ला पहाडगंज स्थित ट्रंचिंग ग्राउण्ड में पुराने नगरीय ठोस अपशिष्ठ के पृथक्कीकरण हेतु अनुबन्धित फर्म मै0 राम सिंह अग्रवाल के अनुबन्ध की अवधि 03 माह बढाये जाने हेतु प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित हुआ।
41.	नगर निगम, रूद्रपुर क्षेत्रान्तर्गत किसी भी औद्योगिक संस्था द्वारा सी0एस0आर0 के माध्यम से नगर निगम, रूद्रपुर के मीटिंग हॉल में नगर निगम के हित में किसी भी प्रकार की गतिविधि के आयोजन हेतु मीटिंग हॉल संबन्धित संस्था को निशुल्क उपलब्ध कराये जाने की स्वीकृति पर विचार।	प्रस्ताव पर विचार–विमर्श किया गया। प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित हुआ।
42.	कार्यालय नगर निगम, रूद्रपुर के वार्षिक बजट 2021–22 के अन्तर्गत अनुमानित बजट के सापेक्ष अधिक भुगतान के अनुमोदन/स्वीकृति पर विचार।	प्रस्ताव पर विचार–विमर्श किया गया। प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित हुआ।
43.	होर्डिंग विज्ञापन शुल्क वसूली के ठेके में समयावृद्धि करने पर विचार।	प्रस्ताव पर विचार–विमर्श किया गया। प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित हुआ।
44.	नगर निगम क्षेत्रान्तर्गत ट्रेंड लाईसेंस आउट सोर्स के माध्यम से बनवाये जाने पर विचार।	प्रस्ताव पर विचार–विमर्श किया गया। प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित हुआ।
45.	नगर निगम, रूद्रपुर के कार्यो हेतु एक सेवानिवृत्त पटवारी और एक सेवानिवृत्त मानचित्रकार को प्रतिमाह रू0 25,000.00 मानदेय पर रखे जाने पर विचार।	प्रस्ताव पर विचार–विमर्श किया गया। प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित हुआ।
46.	प्लास्टिक प्रतिबन्ध उपविधि 2021 पर विचार।	प्रस्ताव पर विचार–विमर्श किया गया। प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित हुआ।
47.	टावर शुल्क लगाये जाने पर विचार।	प्रस्ताव पर विचार–विमर्श किया गया। प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित हुआ।
48.	निर्माण एवं धवस्तीकरण की नियमावली बनाये जाने पर विचार।	प्रस्ताव पर विचार–विमर्श किया गया। प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित हुआ।
49.	नगर निगम, रूद्रपुर अन्तर्गत स्मार्ट वैण्डिंग जोन बनाये जाने पर विचार।	प्रस्ताव पर विचार–विमर्श किया गया। चर्चा में यह निर्णय लिया गया कि नगर निगम रूद्रपुर द्वारा 08 वैण्डिंग जोन चिन्हित किये गये हैं जो निम्नवत् है:– 01. इन्द्रा कॉलोनी गली नं0–01 में 31 PAC को दीवार के साथ लगती हुई भूमि।

		02. FCI गोदाम के सामने लेबरशैड से लगती हुई मोदी मैदान की भूमि। 03. जूनियर jps से लगती हुई भूमि। 04. नैनीताल रोड पर अमृत योजनान्तर्गत निर्मित नाले एंव हाई डल विभाग के मध्य स्थित भूमि। 05. गल्ला मण्डी में क्षतिग्रस्त सचिव आवास/कार्यालय के बराबर में स्थित दो चबूतरे। 06. मुख्य बाजार सब्जी मण्डी की भूमि। 07. ट्रांजिट कैम्प में मुख्य मार्ग के दोनों तरफ की भूमि। 08. किच्छा बाईपास मार्ग पर जज आवास की दीवार के आगे स्थित रिक्त भूमि। उपराक्त स्थानों पर स्मार्ट वैण्डिग जोन बनाने तथा स्मार्ट वैण्डिग जोन बनाये जाने हेतु प्रारम्भिक व्यय बोर्ड फण्ड से किया जायेगा। वैण्डर्स से वसूली करने उपरान्त धनराशि को बोर्ड फण्ड में जमा कर दिया जायेगा। सर्वप्रथम बिजली हाईडल के पक्ष में आवंटित नजूल भूमि पर स्मार्ट वैण्डिंग जोन का निर्माण किया जायेगा। प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित हुआ।
50.	सी0बी0जी0 प्लान्ट के पास रिक्त पडी भूमि पर पार्किंग शेड बनाये जाने हेतु वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति पर विचार।	प्रस्ताव पर विचार–विमर्श किया गया। प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित हुआ।
51.	अन्य प्रस्ताव अध्यक्ष/मा0 बोर्ड की अनुमति से।	
51(1).	नगर निगम, रूद्रपुर क्षेत्रान्तर्गत हॉट मिक्स सड़क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में।	प्रस्ताव पर विचार–विमर्श किया गया। चर्चा में यह निर्णय लिया गया कि नगर निगम, रूद्रपुर क्षेत्रान्तर्गत 20 किलोमीटर डब्लू.एम.एम. सड़क तथा सड़क के दोनों ओर नाली बनाये जाने का प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया गया।
51(2).	नगर निगम, रूद्रपुर क्षेत्रान्तर्गत नालों की सफाई के सम्बन्ध में।	प्रस्ताव पर विचार–विमर्श किया गया। चर्चा में यह निर्णय लिया गया कि नगर निगम, रूद्रपुर क्षेत्रान्तर्गत बड़े नालों की साफ–सफाई आवश्यकतानुसार किसी आउटसोर्स फर्म/संस्था से करा ली जाये। इसके अतिरिक्त वर्षाकाल से पूर्व ही कार्य योजना तैयार कर ली जाये ताकि कही जल भराव जैसी स्थिति को उत्पन्न होने बचा जा सके।
51(3).	नगर निगम, रूद्रपुर परिसर में प्रस्तावित नवीन सभागार का नाम स्व0 श्री सुभाष चतुर्वेदी के नाम पर रखे जाने के सम्बन्ध में।	प्रस्ताव पर विचार–विमर्श किया गया। प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित हुआ।
51(4).	राज्य सरकार द्वारा नजूल नीति के सम्बन्ध में पारित प्रस्ताव हेतु धन्यवाद प्रस्ताव प्रेषित किये जाने के सम्बन्ध में।	प्रस्ताव पर विचार–विमर्श किया गया। प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित हुआ।
51(5).	सिडकुल चौक का नाम भगवान परशुराम के नाम पर रखे जाने के सम्बन्ध में।	प्रस्ताव पर विचार–विमर्श किया गया। प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित हुआ।
51(6).	निर्माण अनुभाग, नगर निगम, रूद्रपुर में पंजीकृत ठेकेदारों के भुगतान के सम्बन्ध में।	प्रस्ताव पर विचार–विमर्श किया गया। चर्चा में यह निर्णय लिया गया कि नगर निगम, रूद्रपुर द्वारा अनुबंधित

		ठेकेदार द्वारा निर्माण कार्य सम्पन्न करने के पश्चात् जब तक वहां पर शिलापट न लगा दिया जाये, तब तक उसकी एम.बी. तैयार न की जाये। प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित हुआ।
नोटः– उपरोक्त स्वीकृत प्रस्तावों में आने वाले व्यय का वहन शासन द्वारा जारी शासनादेशों, धनावंटन में दिये गये निर्देशों तथा वित्तीय नियमों के अन्तर्गत किया जायेगा, जिसके लिए नगर निगम रूद्रपुर के लेखा अनुभाग का दायित्व निर्धारित किया गया।		

बैठक के अन्त में मा0 महापौर एवं नगर आयुक्त द्वारा बोर्ड की बैठक में उपस्थित पार्षदगणों/सदस्यों/अधिकारियों/कर्मचारियों को धन्यवाद के साथ बैठक समाप्ति की सहर्ष घोषणा की गई।

(रामपाल सिंह)
महापौर
नगर निगम, रूद्रपुर
ऊधमसिंह नगर

पत्रांक – /मु0का0/2021–22 दिनांक–

प्रतिलिपि :– आयुक्त महोदय, कुमाँऊ मण्डल, नैनीताल को सादर सूचनार्थ।

(रामपाल सिंह)
महापौर
नगर निगम, रूद्रपुर
ऊधमसिंह नगर